IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

Writ Petition No. (S/S) OF 2019

DANKU RAM Versus STATE OF U.P. & ORS.

Annexure : 5

संख्या-104 /26-4090-2013-10(19)/2003

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण [illegible] 2013

विषय:—अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विमुक्त जाति हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित छात्रावासों/पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विमुक्त जाति हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित छात्रावासों/पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में तात्कालिक प्रभाव से वृद्धि करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत संशोधित किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों की मानदेय की दरें

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	पद	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	अधीक्षक/प्रबंधक	250	3000
2	रसोइया/कहार	150	3000
3	सफाई कर्मचारी	100	1500
4	पुस्तकालयाध्यक्ष	50	2000

विमुक्त जाति के छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों की मानदेय की दरें

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	पद	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	प्रबंधक	25	3000
2	रसोइया	100	3000

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अनुसूचित जाति सबप्लान मद में उपलब्ध आय व्ययक प्राविधान से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-ई-3-405 /दस-2013, दिनांक 21 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

34

संख्या-- 105 (1)/26-स0प्र0-2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1-- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2-- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
3-- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0लखनऊ ।
4-- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक समाज कल्याण
5-- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 ।
6-- सलाहाकार, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन ।
7-- निदेशक, एन0आई0सी0 ।
8-- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

पत्रांक C-1622-A/स0क0/विकास/आश्वासन सं0-523/89/2013-14 लखनऊ दिनांक 21-3-2013

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय ।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 ।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 ।
7. योजनाधिकारी, शिक्षा अनुभाग, मुख्यालय ।

(हरि लाल पासी)
अपर निदेशक,
कृते निदेशक ।